संख्या-72/2026/914/छप्पन-2026-56-1002(002)/1/2023

प्रेषक,

निखिल टीकाराम फुंडे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग लखनऊ, दिनांक: 02 सितम्बर, 2026

विषयः नागरिक उड्डयन निदेशालय परिसर में स्थित प्रशासनिक भवन, हैंगर संख्या-01, 02 एवं परिसर के पुनः विद्युतीकरण एवं अर्थिंग सम्बन्धी विद्युत कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-68/ना0उ0नि0/विद्युत सुरक्षा/2026 दिनांक 22 जून, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नागरिक उड्डयन निदेशालय परिसर के पुनः विद्युतीकरण एवं सम्बन्धी कार्यों हेतु प्रेषित आगणन धनराशि रू0 33.17 लाख की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति तथा धन आवंटन के सम्बन्ध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव परीक्षण हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग सन्दर्भित किया गया। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्तावित लागत रू0 33.17 लाख (रूपए तैतीस लाख सत्रह हजार मात्र) के सापेक्ष लागत रू0 31.26 लाख (रूपए इकतीस लाख छब्बीस हजार मात्र) आकंलित की गई है।

3- अवगत कराना है शासन के पत्र संख्या 71/2026/646/छप्पन-2026-56-1002(002)/1/2023 दिनांक 31 अगस्त, 2026 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22 जून, 2026 द्वारा किए गए अनुरोध के दृष्टिगत नागरिक उड्डयन निदेशालय परिसर के पुनः विद्युतीकरण एवं सम्बन्धी कार्यों हेतु प्रेषित आगणन धनराशि रू0 33.17 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 31.26 लाख (रूपए इकतीस लाख छब्बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही करना सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(4) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 के अन्तर्गत उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) प्रायोजना हेतु स्वीकृत धनराशि आवंटित करने से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत प्रायोजना सक्षम स्तर से अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत सम्मिलित है।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर प्रायोजना रचना एवं मूल्याँकन प्रभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(11) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनाँक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें। ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।

(12) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। निदेशक, नागरिक उड्डयन का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही निदेशक, नागरिक उड्डयन का यह भी दायित्व होगा कि प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री की मात्राओं का अनुपातिक/मानक

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या- 2/2022 / ई-8-202 /दस-2022, दिनाँक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(13) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्धारित मानकों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रायोजना के धन आवंटन सम्बन्धी आदेश में प्रायोजनान्तर्गत कार्यों के सम्पादन हेतु निर्धारित अवधि एवं प्रायोजनान्तर्गत कार्यों को प्रारम्भ करने की तिथि/डे जीरो का नियमानुसार उल्लेख अवश्य कर दिया जाये, जिससे मूल्यवृद्धि/प्राइज एडजस्टमेन्ट के कारण राजकोष पर अतिरिक्त व्यय भार न आये। प्रायोजनान्तर्गत कार्यों को निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(15) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(16) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का आंकलन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(17) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5- प्रश्नगत धनराशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-38 के राजस्व लेखा लेखीशीर्ष ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रखरखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-29-अनुरक्षण'' से वहन की जाएगी।

6- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व लेखा के अधीन विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि को शासन के शासनादेश संख्या 43/2026/ 375/छप्पन-2026 दिनांक 07 अप्रैल, 2026 द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन के निवर्तन पर रखा गया है।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 4/2026-बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
निखिल टीकाराम फुंडे
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 72/2026/914(1)/छप्पन-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10.

3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7.

6- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाईल।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।